रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72

REGISTERED No.D.(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग—I खण्ड I

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 203] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 15, 1979/आश्विन 23, 1901

No. 203] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 15, 1979/ASVINA 23, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1979

सं० एफ० 4(1)-डब्ल्यू० एण्ड एम०/79—$5\frac{3}{4}$ प्रतिशत ऋण, 1984, $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत ऋण, 1991 और 7 प्रतिशत ऋण, 2009 (तीसरा निर्गम) के लिये 29 अक्तूबर, 1979 से नकदी अभिदान स्वीकार किये जायेंगे। जैसे ही यह विदित होगा कि कुल अभिदान राशि अनुमानतः 450 करोड़ रुपयों (सांकेतिक) तक पहुंच गयी है बिना सूचना दिये, किन्तु किसी भी दशा में 30 अक्तूबर, 1979 को कारोबार बन्द होने से पूर्व इन निर्गमों को बन्द कर दिया जायेगा। सरकार को 450 करोड़ रुपयों से अधिक प्राप्त 10 प्रतिशत तक के अभिदानों को रख लेने का अधिकार है।

2. यदि उपर्युक्त ऋणों की कुल अभिदान राशि 495 करोड़ रुपयों (सांकेतिक) से अधिक हो तो ऋणों के संबंध में आनुपातिक आधार पर आंशिक आबंटन किया जायेगा। यदि आंशिक आबंटन किया जाता है तो आबंटन के बाद यथाशीघ्र अतिरिक्त अभिदान राशि लौटा दी जायेगी। इस प्रकार लौटायी गयी राशि पर कोई ब्याज अदा नहीं किया जायेगा।

3. रु० 100.00 प्रतिशत की दर पर जारी किया जाने वाला और 29 अक्तूबर, 1984 को सममूल्य पर प्रतिदेय $5\frac{3}{4}$ प्रतिशत ऋण, 1984—

(1) वापसी अदायगी की तारीख—ऋण 29 अक्तूबर, 1984 को सममूल्य पर वापस अदा किया जायेगा।

(2) निर्गम मूल्य—आवेदित ऋण के प्रत्येक रु० 100.00 (सांकेतिक) का निर्गम मूल्य रु० 100.00 होगा।

(3) ब्याज—इस ऋण की ब्याज दर 29 अक्तूबर, 1979 से वार्षिक $5\frac{3}{4}$ प्रतिशत होगी।

ब्याज प्रत्येक छमाही में 29 अप्रैल, और 29 अक्तूबर को अदा किया जायेगा। इस प्रकार अदा किये गये ब्याज पर नीचे दिये हुए पैरा 7 और 8 के उपबन्धों के अधीन आय कर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर लगेगा।

4. रु० 100.00 प्रतिशत की दर पर जारी किया जाने वाला और 29 अक्तूबर, 1991 को सममूल्य पर प्रतिदेय $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत ऋण, 1991 —

(1) वापसी अदायगी की तारीख—ऋण 29 अक्तूबर, 1991 को सममूल्य पर वापस अदा किया जायेगा।

(2) निर्गम मूल्य—आवेदित ऋण के प्रत्येक रु० 100.00 (सांकेतिक) का निर्गम मूल्य रु० 100.00 होगा।

(3) ब्याज—इस ऋण की ब्याज दर 29 अक्तूबर, 1979 से वार्षिक $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत होगी। ब्याज प्रत्येक छमाही में 29 अप्रैल और 29 अक्तूबर को अदा किया जायेगा। इस प्रकार अदा किये गये ब्याज पर नीचे दिये हुए पैरा 7 और 8 के उपबन्धों के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर लगेगा।

5. रु० 100.00 प्रतिशत की दर पर जारी किया जाने वाला और 25 मई, 2009 को सममूल्य पर प्रतिदेय 7 प्रतिशत ऋण, 2009 (तीसरा निर्गम)—

(1) वापसी अदायगी की तारीख—ऋण 25 मई, 2009 को सममूल्य पर वापस अदा किया जायेगा ।

(2) निर्गम मूल्य—आवेदित ऋण के प्रत्येक रु० 100.00 (सांकेतिक) का निर्गम मूल्य रु० 100.00 होगा ।

(3) ब्याज—इस ऋण की ब्याज दर 29 अक्तूबर, 1979 से वार्षिक 7 प्रतिशत होगी । 29 अक्तूबर से 24 नवम्बर, 1979 (दोनो दिन मिलाकर) तक की अवधि के लिये ब्याज 24 नवम्बर, 1979 (25 को रविवार होने के कारण) को अदा किया जायेगा और उसके बाद ब्याज प्रत्येक छमाही में 25 मई और 25 नवम्बर को अदा किया जायेगा । इस प्रकार अदा किये गये ब्याज पर नीचे दिये हुए पैरा 7 और 8 के उपबन्धों के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर लगेगा ।

पूरक व्यवस्थायें

6. ब्याज अदा करने का स्थान—इन ऋणों पर भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद, बंगलूर, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद जयपुर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नई दिल्ली और पटना मे स्थित लाक ऋण कार्यालयों, भारत में जम्मू और काश्मीर तथा सिक्किम राज्यों को छोड़कर अन्यत्र किसी राजकोष या उप राजकोष मे और जम्मू तथा श्रीनगर मे स्थित केन्द्रीय सरकार के वेतन और लेखा कार्यालयों में ब्याज अदा किया जायेगा ।

7. (वार्षिक वित्त अधिनियमों द्वारा निर्धारित दरों पर) ब्याज अदा किये जाते समय काटे गये कर की वापसी अदायगी उन ऋण-धारकों को प्राप्त होगी जो कर-पात्र नहीं है या जिन पर उन दरों पर कर लागू होता है जो काटे गये कर की दर से कम हो ।

जो धारक कर-पात्र नहीं है या निर्धारित दर से कम दर पर कर-पात्र हैं वह जिले के आय कर अधिकारी को आवेदन कर उनका एक ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है जिसमें यह प्राधिकृत किया गया हो कि कर की कटौती किये बिना या धारक पर लागू होने वाली न्यूनतम दर पर कर की कटौती कर उसे ब्याज अदा किया जाये ।

8. अब जारी किये जाने वाले सभी ऋणों पर और इसके पहले की अन्य सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलने वाले ब्याज तथा अन्य अनुमोदित निवेशों से मिलने वाली आय को वार्षिक 3,000 रुपयों की सीमा तक और आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-ऊ के अन्य उपबन्धों के अधीन आय कर से छूट प्राप्त होगी ।

9. अब जारी किये जाने वाले ऋणों में किये जाने वाले निवेशों के मूल्य, इसके पहले सरकारी प्रतिभूतियों में किये गये अन्य निवेशों और संपत्ति कर अधिनियम की धारा 5 में निर्दिष्ट अन्य निवेशों के मूल्य को भी 1,50,000 रुपयों की सीमा तक संपत्ति कर से छूट प्राप्त होगी ।

10. प्रतिभूतियां निम्नलिखित के रूप में जारी की जायेंगी ।

(i) स्टाक प्रमाणपत्र या

(ii) वचनपत्र

यदि आवेदक इनमें से किसी के पक्ष में विशेष अभिरुचि का उल्लेख न करें तो वचनपत्रों के रूप में प्रतिभूतियां जारी की जायेंगी ।

11. ऋणों के लिये आवेदन पत्र-ऋणों के लिये आवेदन पत्र रु० 100 या उसके गुणजों के लिये होने चाहियें ।

12. आवेदन पत्र निम्नलिखित कार्यालयों में स्वीकार किये जायेंगे —

(क) अहमदाबाद, बंगलूर, बम्बई (फोर्ट और भायखला), कलकत्ता, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नई दिल्ली और पटना में स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय; और

(ख) उपर्युक्त (क) को छोड़कर भारत में अन्य सभी स्थानों पर भारतीय स्टेट बैंक की शाखायें ।

13. आवेदनपत्र इसके साथ संलग्न फार्म में या किसी ऐसे दूसरे फार्म में होने चाहिये जिसमें अपेक्षित प्रतिभूतियों की राशि और विवरण, आवेदक के पूरे नाम और पते तथा उस कार्यालय का स्पष्ट उल्लेख हो जहां आवेदक ब्याज की अदायगी की अपेक्षा करता हो ।

14. आवेदन पत्रों के साथ आवश्यक राशि नकदी या चैक के रूप में प्रेषित की जानी चाहिये । भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने वाले चैक संबंधित बैंक के नाम आहरित होने चाहियें ।

15. स्वीकृत बैंकों और दलालों को उन के द्वारा प्रस्तुत और उनकी मोहरयुक्त ऋण-आवेदन-पत्रों पर किये गये आवंटनों पर प्रति रु० 100 (सांकेतिक) 6 पैसे की दर पर दलाली अदा की जायेगी ।

दलाली की अदायगी के लिये ऋण जारी किये जाने की तारीख से छः महीने के भीतर अदायगी कार्यालयों में दावा पेश किया जाना चाहिये ।

राष्ट्रपति के आदेश से,
अखिलेश चन्द्र तिवारी, संयुक्त सचिव

आवेदन फार्म

मैं/हम*.....(पूरा/पूरे नाम).....इसके साथ रु० .....
(.....रुपये) नकदी में*
———प्रस्तुत करता हूं/करते हैं और यह अनुरोध करता हूं/करते हैं कि
का चैक*———
मुझे/हमें नीचे उल्लिखित मूल्य वर्ग/मूल्य वर्गों में वचनपत्र (पत्रों)**
स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में रु० रु०.....के सांकेतिक मूल्य के
5-3/4 प्रतिशत ऋण, 1984*/ 6-1/4 प्रतिशत ऋण, 1991*/7 प्रतिशत ऋण, 2009 (तीसरा निर्गम) की प्रतिभूतियां जारी की जाएं ।

प्रति वचनपत्र रु०.....के.....वचनपत्र
प्रति वचनपत्र रु०.....के.....वचनपत्र
प्रति वचनपत्र रु०.....के.....वचनपत्र

*जो आवश्यक न हो उसे काट दिया जाए ।

**रु० 100, रु० 200, रु० 500, रु० 1,000, रु० 5,000, रु० 10,000, रु० 25,000, रु० 50,000 और रु० 1,00,000 के मूल्य वर्गों में वचनपत्र जारी किये जाएंगे । जो मूल्य वर्ग अपेक्षित हो उसका उल्लेख यहां किया जाए ।

2. मैं/हम चाहता हूं/चाहते हैं कि उनका ब्याज में अदा किया जाए।

विशेष टिप्पणी : इस खाने में आवेदक कुछ न लिखें।
सारी प्रविष्टियां लोक ऋण कार्यालय द्वारा की जाएंगी।

	छोटे हस्ताक्षर	दिनांक
आवेदन पत्र सं०		
"दलाली नहीं" मुहर		
नकदी प्राप्त		
चेक वसूल हुआ		
विशेष चालू खाते में जमा किया गया		
जांच की गयी		
नकदी आवेदन-पत्रों के रजिस्टर में दर्ज किया गया		
दलाली रजिस्टर में दर्ज किया गया		
मांग पत्र सं०		
प्रतिभूति सं०		
कार्ड सं०		
को वाउचर पारित किया गया		

हस्ताक्षर .....
पूरा नाम .....
पता .....
.....
.....
.....
दिनांक ..... अक्तूबर, 1979

टिप्पणी :

(1) प्रत्येक ऋण और अपेक्षित नये ऋण की प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूति (स्टाक प्रमाणपत्र या वचनपत्र) के लिए अलग-अलग आवेदन किया जाए।

(2) यदि आवेदक के हस्ताक्षर अंगूठे के निशान के रूप में हों तो दो व्यक्ति उसके साक्षी हों। साक्षियों के हस्ताक्षरों के नीचे उनके पूरे नाम, व्यवसाय और पते दिये जाएं।

(3) यदि आवेदन किसी पंजीकृत निकाय के नाम पर किया जाए तो निम्नलिखित दस्तावेज निवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाएं यदि वे लोक ऋण कार्यालय में पहले ही पंजीकृत न किये गये हों :—

(i) निगमन पंजीकरण का मूल प्रमाणपत्र या उसकी प्रतिलिपि जो जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा कार्यालय मुहर के अधीन सच्ची प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित हो।

(ii) कंपनी निकाय के ज्ञापनपत्र और अन्तर्नियम या नियमों और विनियमों उपनियमों की प्रमाणित प्रतिलिपियां।

(iii) कम्पनी निकाय की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों का लेन-देन करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति व्यक्तियों के पक्ष में किये गये संकल्प की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा उसके/उनके विधिवत् सत्यापित नमूना हस्ताक्षर।

(4) जो आवेदक स्टाक प्रमाणपत्रों के रूप में प्रतिभूतियां जारी कराना चाहते हैं, उन्हें छमाही ब्याज के प्रेषण के लिए प्रादेश फार्म (लोक ऋण कार्यालय में उपलब्ध) भी भरना चाहिए।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 1979

No. F4(1)-W & M/79.—Subscriptions for the issues of 5-3/4 per cent. Loan, 1984, 6-1/4 per cent. Loan, 1991 and 7 per cent. Loan, 2009 (Third Issue) will be received from the 29th October, 1979 in the form of cash. The issues will be closed without notice as soon as it appears that the total subscriptions amount approximately to Rs. 450 crores (Nominal) and in any case not later than the close of business on the 30th October, 1979. Government reserve the right to retain subscriptions received up to 10 per cent in excess of the sum of Rs. 450 crores.

2. If the total subscriptions to the aforesaid loans exceed the sum of Rs. 495 crores (Nominal), partial allotment will be made in respect of the loans on a proportionate basis. If partial allotment is made, the excess subscriptions will be refunded as soon as possible after allotment. No interest will be paid on the amounts so refunded.

3. 5-3/4 per cent. Loan, 1984 issued at Rs. 100.00 per cent and redeemable at par on the 29th October, 1984.

(i) Date of repayment.—The Loan will be repaid at par on the 29th of October, 1984.

(ii) Issue Price.—The issue price will be Rs. 100.00 per every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

(iii) Interest. The Loan will bear interest at the rate of 5-3/4 per cent. per annum from 29th October, 1979.

Interest will be paid half-yearly on the 29th April and 29th October. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 7 and 8 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

4. 6-1/4 per cent. Loan, 1991 issued at Rs. 100.00 per cent. and redeemable at par on the 29th October, 1991.

(i) Date of repayment.—The Loan will be repaid at par on the 29th of October, 1991.

(ii) Issue Price.—The issue price will be Rs. 100.00 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

(iii) Interest.—The Loan will bear interest at the rate of 6-1/4 per cent. per annum from 29th October, 1979. Interest will be paid half-yearly on the 29th April and 29th October. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 7 and 8 below be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

5. 7 per cent Loan, 2009 (Third Issue) issued at Rs. 100.00 per cent and redeemable at par on the 25th May, 2009.

(i) Date of repayment.—The Loan will be repaid at par on the 25th of May, 2009.

(ii) Issue Price.—The issue price will be Rs. 100.00 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

(iii) Interest.—The Loan will bear interest at the rate of 7 per cent per annum from 29th October, 1979. Interest for the period 29th October to 24th November, 1979 inclusive will be paid on 24th November, 1979 (25th being Sunday) and thereafter interest will be paid half-yearly on the 25th May and 25th November. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 7 and 8 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

SUPPLEMENTARY PROVISIONS

6. Place of payment of interest.—Interest on the loans will be paid at the Public Debt Officers of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Hyderabad, Jaipur Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi and Patna, at any Treasury or Sub-Treasury elsewhere in India except the States of Jammu and Kashmir and Sikkim, and at the Central Government's Pay and Accounts Offices at Jammu and Srinagar.

7. Refunds of tax deducted at the time of payment of interest (at the rates prescribed by the Annual Finance Acts) will be obtainable by holders of the loan who are not liable to tax or who are liable to tax at rates lower than the rate at which tax was deducted.

A holder who is not liable to tax or who is liable to tax at a rate lower than the prescribed rate, can obtain on application, a certificate from the Income-tax Officer of the district, authorising payment of interest to him without deduction of tax or with deduction of tax at such lower rate as may be applicable to the holder.

8. Interest on all the loans now issued together with interest on other previous Government securities and income from other approved investments will be exempt from income-tax subject to a limit of Rs. 3,000 per annum and subject to the other provisions of Section 80L of the Income-tax Act, 1961.

9. The value of investments in the loans now issued together with the value of other previous investments in Government securities and the other investments specified in Section 5 of the Wealth Tax Act will also be exempt from the Wealth tax upto Rs. 1,50,000.

10. The securities will be issued in the form of :—

(i) Stock Certificates or

(ii) Promissory Notes.

If no preference is stated by the applicants, the securities will be issued in the form of Promissory Notes.

11. Applications for the Loans.—Applications for the loans must be for Rs. 100 or a multiple of that sum.

12. Applications will be received at—

(a) Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bombay (Fort and Byculla), Calcutta, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi and Patna; and

(b) Branches of the State Bank of India at all places in India except at (a) above.

13. Applications may be in the form attached hereto or in any other form which states clearly the amount and description of the securities required, the full name and address of the applicant and the office at which the desires the interest to be paid.

14. Applications should be accompanied by the necessary payment in the form of cash or cheque. Cheques tendered at the office of the Reserve Bank of India or the State Bank of India should be drawn in favour of the bank concerned.

15. Brokerage will be paid at the rate of 6 paise per Rs. 100 (Nominal) to recognised banks and brokers on allotments made in respect of applications for the loans tendered by them and bearing their stamp.

The claim for payment of brokerage should be preferred at the paying offices within six months from the date of floatation of the loans.

By order of the President
A.C. TIWARI, Jt. Secy.

FORM OF APPLICATION

I/We*.....herewith tender
[Full name(s) in Block Letters]

*Cash Rs.
*Cheque for Rs. .....(Rupees.....) and request

that securities of 5-3/4 per cent. Loan, 1984*/6-1/4 per cent. Loan, 1991*/7 per cent. Loan, 2009 (Third Issue)* of the nominal value of Rs.....may be issued to me/us in the form of $\frac{\text{Promissory Note(s)£}}{\text{Stock Certificate}}$ in the denomination/s stated below

.....Promissory Notes of Rs.....each
.....Promissory Notes of Rs.....each
.....Promissory Notes of Rs.....each

2. I/We desire that interest be paid at.....

N.B.—The aplicant should not write anything in this cage. The entries will be filled in by the Public Debt Office.

	Intials	Date	
Application No.....			
N.B. Stamp			Signature.....
Cash received on.....			Name in full.....
Cheque realised on.....			..... (Block Letters)
Credited to Special Current Account on.....			Address..... .....
Examined.....			.....
Cash application Register posted.....			Date the.....of October 19....
Brokerage Register posted.....			
Indent No.....			
Scrip No.....			
Card No.....			
Voucher passed on.....			

*Delete what is not required.

£Promissory Notes will be issued in denomination of Rs. 100, Rs. 200, Rs. 500, Rs. 1000, Rs. 5000, Rs. 10,000, Rs. 25,000, Rs. 50.000, and Rs. 1.00,000. State here the particular denomination(s) required.

Notes—(1) Separate applications should be made for each Loan and each form of scrip (Stock Certificate or Promissory note) of the new Loan required.

(2) If the applicant's signature is by thumb mark, it should be witnessed by two persons. The full names, occupations and addresses of the witnesses should be appended to their signatures.

(3) If the application is made in the name of a registered body, the undernoted documents, if not already registered at the Public Debt Office, should be enclosed with the investment application:

(i) Certificate of Incorporation/Registration in original or a copy thereof certified as true by the issuing authority under office seal.

(ii) Certified copies of Memorandum and Articles of Association or the Rules and Regulations/Bye-Laws of the Company/Body.

(iii) Certified copy of resolution in favour of the person(s) authorised to deal in Government securities on behalf of the company/body together with his/their duly attested specimen signatures.

(4) Applicants desiring the issue of scrips in the form of Stock Certificates should also complete a Mandate Form (obtainable from Public Debt Office) for Remittance of half-yearly interest to them.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1970